नम्बर व तारीख
जो किस ह
तामील में

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
04 / 2020	04 / 02 / 2020	13 / 09 / 2025

1. विजय कुमार कुमार पुत्र श्री रमेशचंद आयु 7 वर्ष ना. बा.जरिये वली माता श्री बद्रीबाई पत्नी रमेशचंद जाति मीणा नि० दुर्जन पुरा
2. हरिओम पुत्र श्री रमेशचन्द्र आयु 7 वर्ष ना.बा. जरिये वली माता श्रीमति कविता कुमारी पत्नी श्री रमेशचंद जाति मीणा नि दुर्जन पुरा तह० पीपल्दा जि० कोटा

वादीगण

बनाम

1. रमेशचंद पुत्र श्री भैरिया आयु 45 वर्ष जाति मीणा नि० दुर्जन पुरा तहसील पीपल्दा जि० कोटा
2. राज सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जि. कोटा राज

प्रतिवादीगण,

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 आर–टी एक्ट ।

निर्णय

वादी ने राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88 के तहत दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी क्रम के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी भूमि वाके माल ग्राम दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज मे खाता संख्या 263 पुराना 220 मे ख.नं. 780 रकबा 7.02 है. जमाबंदी संवत 2074 से 2077 जमाबंदी 2076 वर्ष 2019 ते नक्शा ड्रेस के अनुसार दर्ज रिकार्ड है तथा वाद पत्र में वर्णित भूमि प्रतिवादी को विरासत से प्राप्त हुई है, तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में पिता–पुत्र है. तथा वादगण को, उपरोक्त संपत्ति में जन्म ले से ही नेशनल शेयर सुनिश्चित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में पिता पुत्र है एवं वादीगण अविवाहित है, वादीगण को अपनी शिक्षा दीक्षा एवं अन्य कार्यों के निर्वहन से परेशानी होने से वादीगण को आर्थिक मदद की आवश्यकता है, लेकिन प्रतिवादी, वादी को हिस्सा नही देना चाहता है वादीगण द्वारा प्रतिवादी समाज के लोगो, रिश्तेदारों की मदद से समझाने का प्रयास किया लेकिन दिनांक 1.12.2019 को प्रतिवादी क्रम द्वारा स्पष्ट मना करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी कम 2 को उक्त वाद में भू लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है. इनसे कोई रिलीफ नही चाही गई है, केवल बाद डिकी की पालना करवाने की रिलीफ चाही गई है।

अतः वाद प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को निम्न आशय की डिक्री पारित को जावे कि वाद पत्र में वर्णित भूमि मे वादीगण को 1/3–1/3 हिस्सा भूमि का पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में एवं नक्शे में उपरोक्त हिस्से मुताबिक अमल दरामद किया जावे एवं प्रतिवादी कम 2 को आदेशित किया जावे कि डिकी की पालना करवाये।

वादी की ओर से वाद श्री हरिमोहन मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 1 की ओर से श्री अम्बेडकर बैरवा एड0 ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादीकम 1 ने इकबाली जवाब

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 ने आपसी सहमति से उपस्थित होकर लोकअदालत में राजीनामा पेश किया।

राजीनामा:—

वादीगण द्वारा प्रतिवादी कम 1 आपस मे दोनों पक्षों का रिश्ता पिता पुत्र का है, प्रतिवादी क्रम 1 के खिलाफ वादीगण द्वारा जो वाद पेश किया गया, वाद मे वर्णित विवादित कृषि आराजी पैत्रिक संपत्ति है जो प्रतिवादी क्रम 1 के नाम विरासत से प्राप्त हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को गांव के व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों द्वारा आपस मे समझाईश करने पर प्रतिवादी क्रम 1 ने लोक अदालत की प्रेरणा से अपनी पुश्तैनी कृषि आराजी का विभाजन अपने पुत्र प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार कर दिया है।

1—वादी क्रम 1 विजयकुमार पुत्र श्री रमेशचन्द आयु 12 वर्ष ना.बा. जरिये वली माता बद्री बाई पत्नी श्री रमेशचन्द जाति मीणा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज. का 1/3 हिस्सा भूमि :—

खं०नं०	रकबा हैक्टर मे
780/1 पश्चिम दिशा की ओर	2.34 है0 नहरी प्रथम

2—वादी कम 1 हरिओम पुत्रश्री रमेशचन्द आयु 12 वर्ष ना.बा. जरिये वली माता कविता कुमारी पत्नी श्री रमेशचन्द जाति मीणा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज. का 1/3 हिस्सा भूमि :—

खं०नं०	रकबा हैक्टर मे
780/2 मध्य	2.34 है0 नहरी प्रथम

3—प्रतिवादी क्रम 1 रमेशचन्द पुत्र श्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज. का 1/3 हिस्सा भूमि :—

खं०नं०	रकबा हैक्टर मे
780/2 पूर्व दिशा की ओर	2.34 है0 नहरी प्रथम

प्रार्थना पत्र राजीनामा प्रस्तुत कर न्यायालय से निवेदन किया कि उपर वर्णित वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादित कृषि आराजी का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य पृथक पृथक रूप् से 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा मुताबिक कर राजस्व रिकार्ड मे वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के नाम अमल दरामद किये जाने की कृपा करें। इसके प्रतिवादी क्रम 1 की पूर्ण सहमति है तथा कोई आपत्ति नही है।

अतः वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 का राजीनामा के आधार पर ग्राम दुर्जनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा में खाता सं0 नया 263 पुराना 220 में ख0नं0 780 रकबा 7.02है0, को वादीक्रम 1 विजय पुत्र रमेशचन्द को ख0नं0 780/1 पश्चिम दिशा की ओर रकबा 2.34है0 नहरी प्रथम, वादीक्रम 2 हरिओम पुत्र रमेशचन्द को ख0नं0 780/2 मध्य रकबा 2.34है0 नहरी प्रथम, प्रतिवादी क्रम 1 को 780/3 पूर्व दिशा की ओर रकबा 2.34है0 नहरी प्रथम, का विभाजन कर वादीगण एवं प्रतिवादीक्रम 1 के मध्य पृथक—पृथक रूप से दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 ने आपसी सहमति से उपस्थित होकर लोकअदालत में राजीनामा पेश किया।

राजीनामाः—

वादीगण द्वारा प्रतिवादी कम 1 आपस मे दोनों पक्षों का रिश्ता पिता पुत्र का है, प्रतिवादी क्रम 1 के खिलाफ वादीगण द्वारा जो वाद पेश किया गया, वाद मे वर्णित विवादित कृषि आराजी पैत्रिक संपत्ति है जो प्रतिवादी क्रम 1 के नाम विरासत से प्राप्त हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को गांव के व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों द्वारा आपस मे समझाईश करने पर प्रतिवादी क्रम 1 ने लोक अदालत की प्रेरणा से अपनी पुश्तैनी कृषि आराजी का विभाजन अपने पुत्र प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार कर दिया है।

1—वादी क्रम 1 विजयकुमार पुत्र श्री रमेशचन्द आयु 12 वर्ष ना.बा. जरिये वली माता बद्री बाई पत्नी श्री रमेशचन्द जाति मीणा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज. का 1/3 हिस्सा भूमि :—

खं०नं०	रकबा हैक्टर मे
780/1 पश्चिम दिशा की ओर	2.34 है0 नहरी प्रथम

2—वादी कम 1 हरिओम पुत्रश्री रमेशचन्द आयु 12 वर्ष ना.बा. जरिये वली माता कविता कुमारी पत्नी श्री रमेशचन्द जाति मीणा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज. का 1/3 हिस्सा भूमि :—

खं०नं०	रकबा हैक्टर मे
780/2 मध्य	2.34 है0 नहरी प्रथम

3—प्रतिवादी क्रम 1 रमेशचन्द पुत्र श्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज. का 1/3 हिस्सा भूमि :—

खं०नं०	रकबा हैक्टर मे
780/2 पूर्व दिशा की ओर	2.34 है0 नहरी प्रथम

प्रार्थना पत्र राजीनामा प्रस्तुत कर न्यायालय से निवेदन किया कि उपर वर्णित वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादित कृषि आराजी का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य पृथक पृथक रूप् से 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा मुताबिक कर राजस्व रिकार्ड मे वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के नाम अमल दरामद किये जाने की कृपा करें। इसके प्रतिवादी क्रम 1 की पूर्ण सहमति है तथा कोई आपत्ति नही है।

अतः वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 का राजीनामा के आधार पर ग्राम दुर्जनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा में खाता सं0 नया 263 पुराना 220 में ख0नं0 780 रकबा 7.02है0, को वादीक्रम 1 विजय पुत्र रमेशचन्द को ख0नं0 780/1 पश्चिम दिशा की ओर रकबा 2.34है0 नहरी प्रथम, वादीक्रम 2 हरिओम पुत्र रमेशचन्द को ख0नं0 780/2 मध्य रकबा 2.34है0 नहरी प्रथम, प्रतिवादी क्रम 1 को 780/3 पूर्व दिशा की ओर रकबा 2.34है0 नहरी प्रथम, का विभाजन कर वादीगण एवं प्रतिवादीक्रम 1 के मध्य पृथक—पृथक रूप से दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
04/2020	04/02/2020	13/09/2025

1. विजय कुमार कुमार पुत्र श्री रमेशचंद आयु 7 वर्ष ना. बा.जरिये वली माता श्री बद्रीबाई पत्नी रमेशचंद जाति मीणा नि० दुर्जन पुरा
2. हरिओम पुत्र श्री रमेशचन्द्र आयु 7 वर्ष ना.बा. जरिये वली माता श्रीमति कविता कुमारी पत्नी श्री रमेशचंद जाति मीणा नि दुर्जन पुरा तह० पीपल्दा जि० कोटा राज

वादीगण

बनाम

1. रमेशचंद पुत्र श्री भैरिया आयु 45 वर्ष जाति मीणा नि० दुर्जन पुरा तहसील पीपल्दा जि० कोटा
2. राज सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जि. कोटा राज

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 58,88 आर–टी एक्ट ।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हरिमोहन मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम दुर्जनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा में खाता सं0 नया 263 पुराना 220 में ख0नं0 780 रकबा 7.02है0, को वादीक्रम 1 विजय पुत्र रमेशचन्द को ख0नं0 780/1 पश्चिम दिशा की ओर रकबा 2.34है0 नहरी प्रथम, वादीक्रम 2 हरिओम पुत्र रमेशचन्द को ख0नं0 780/2 मध्य रकबा 2.34है0 नहरी प्रथम, प्रतिवादी क्रम 1 को 780/3 पूर्व दिशा की ओर रकबा 2.34है0 नहरी प्रथम, का विभाजन कर वादीगण एवं प्रतिवादीक्रम 1 के मध्य पृथक–पृथक रूप से दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

यह डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 13.09.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा			बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)